



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2017/ ज्येष्ठ 8, 1939

No. 424]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2017/ JYAISTHA 8, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2017

सा.का.नि. 523(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय कारपोरेट विधि सेवा नियम, 2015 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय कारपोरेट विधि सेवा नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् से मूल नियम कहा है) के नियम 4 में, -

(क) उपनियम (1) में "वेतनमान (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन)" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (4) में "वेतनमानों" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;

3. मूल नियमों में, नियम 7 में, -

(क) उपनियम (1) में, "वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन वाले" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 से 15 या वेतनमान" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में "ग्रेड वेतन" शब्दों को "वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपनियम (2) और उपनियम (3) में "वेतनमान" दोनों स्थानों पर आते हैं शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;

4. मूल नियमों की अनुसूची-1 में, -

- (क) शीर्षक में "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) शीर्षक के नीचे की सारणी के स्तंभ 2 में 'श्रेणी और वेतनमान' शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल नियमों में, अनुसूची-I में, शीर्षक के नीचे की सारणी के, स्तंभ 2 में -

- (क) क्रम संख्या (1) में "67,000 रुपए - 3 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वेतन वृद्धि - 79,000/- रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 1,82,200 रुपए - 2,24,100 रुपए में स्तर 15" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या (2) में "वेतन बैंड 4, 37,400-67,000/- रुपए + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "वेतन मैट्रिक्स 1,44,200/- रुपए - 2,18,200/- रुपए में स्तर 14" शब्दों, अंकों और अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) क्रम संख्या (3) में, "वेतन बैंड 4, 37,400-67,000/- रुपए + ग्रेड वेतन 8700/- रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 1,18,500/- रुपए - 2,14,100/- रुपए में स्तर 13" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (घ) क्रम संख्या (4) में, "वेतन बैंड 3, 15,600-39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 7600/- रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 78,800/- रुपए - 2,09,200/- रुपए में स्तर 12" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ङ) क्रम संख्या (5) में, "वेतन बैंड 3, 15,600-39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6600/- रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 67,700/- रुपए - 2,08,700/- रुपए में स्तर 11" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (च) क्रम संख्या (6) में, "वेतन बैंड 3, 15,600-39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5400/- रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 56,100/- रुपए - 1,77,500/- रुपए में स्तर 10" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

6. मूल नियमों की, अनुसूची-II में, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 5 में, -

- (क) क्रम संख्या (1) में, "ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए." शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 1,44,200/- रुपए - 2,18,200/- रुपए में स्तर 14" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या (2) में, "ग्रेड वेतन 7600/- रुपए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 78,800/- रुपए - 2,09,200/- रुपए में स्तर 12" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ग) क्रम संख्या (4) में, "वेतन बैंड-3 + ग्रेड वेतन 6600/- रुपए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 67,700/- रुपए - 2,08,700/- रुपए में स्तर 11" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (घ) क्रम संख्या (5) में, "वेतन बैंड-3 + ग्रेड वेतन 5400/- रुपए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 56,100/- रुपए - 1,77,500/- रुपए में स्तर 10" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ङ) क्रम संख्या (6) में, "वेतन बैंड-2 + ग्रेड वेतन 4600/- रुपए" शब्दों, अक्षरों और अंकों, जहां कहीं आते हैं, के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 44,900/- रुपए - 1,42,400/- रुपए में स्तर 7" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (च) क्रम संख्या (6) में, "वेतन बैंड-2 + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स 35,400/- रुपए - 1,12,400/- रुपए में स्तर 6" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा.सं. ए-12011/03/2016-प्रशा. II]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2017

**G.S.R. 523(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Corporate Law Service Rules, 2015, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Corporate Law Service (Amendment) Rules, 2017.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Corporate Law Service Rules, 2015 (herein after referred to as the Principal rules), in rule 4, -
  - (a) in sub-rule (1), for the words “Scales of Pay (Pay Band and Grade Pay)”, the words “Level in the Pay Matrix or pay scale” shall be substituted;
  - (b) in sub-rule (4) for the words “pay scales”, the words “Level in the Pay Matrix or pay scale” shall be substituted.
3. In the Principal rules, in rule 7, -
  - (a) in sub-rule (1), for the words and figures “carrying a specific grade pay in Pay Band 3 or Pay Band 4 or Higher Administrative Grade”, the words and figures “in Level 11 to 15 in the Pay Matrix or pay scale” shall be substituted;
  - (b) in sub-rule (2) for the words “grade pay”, the words “Level in the Pay Matrix or pay scale” shall be substituted;
  - (c) in sub-rule (2) and (3) for the words “pay scale”, at both the places they occur, the words “Level in the Pay Matrix or pay scale” shall be substituted.
4. In the Principal rules, in Schedule-I,-
  - (a) in the heading, for the words “Scale of pay”, the words “Level in the Pay Matrix or pay scale” shall be substituted;
  - (b) in the table below the heading, in column 2, for the words ‘Grade and Scale’, the words “Level in the Pay Matrix or pay scale” shall be substituted.
5. In the Principal rules, in Schedule-I, in the table below the heading, in column 2, -
  - (a) in serial number (1), for the letters, figures and words “Rs. 67,000-annual increment @ 3%-79,000”, the words, figures and letters “Level 15 in pay matrix ₹1,82,200-2,24,100” shall be substituted;
  - (b) in serial number (2), for the letters, figures and words “PB-4, Rs. 37,400-67,000 plus grade pay Rs.10,000”, the words, figures and letters “Level 14 in pay matrix ₹1,44,200-2,18,200” shall be substituted;
  - (c) in serial number (3), for the letters, figures and words “PB-4, Rs. 37,400-67,000 plus grade pay Rs.8,700”, the words, figures and letters “Level 13 in pay matrix ₹1,18,500-2,14,100” shall be substituted;
  - (d) in serial number (4), for the letters, figures and words “PB-3, Rs. 15,600-39,100 plus grade pay Rs.7,600”, the words, figures and letters “Level 12 in pay matrix ₹78,800-2,09,200” shall be substituted;
  - (e) in serial number (5), for the letters, figures and words “PB-3, Rs. 15,600-39,100 plus grade pay Rs. 6,600”, the words, figures and letters “Level 11 in Pay Matrix ₹67,700-2,08,700” shall be substituted;
  - (f) in serial number (6), for the letters, figures and words “PB-3, Rs. 15,600-39,100 plus grade pay Rs. 5,400”, the words, figures and letters “Level 10 in Pay Matrix ₹56,100-1,77,500” shall be substituted.

6. In the Principal rules, in Schedule-II, in the table below, in column 5, -
- (a) in serial number (1), for the words, letters and figures "grade Pay of Rs. 10,000", the words, figures and letters "Level 14 in Pay Matrix ₹1,44,200-2,18,200" shall be substituted;
  - (b) in serial number (2), for the words, letters and figures "grade Pay of Rs. 7,600", the words, letters and figures "Level 12 in Pay Matrix ₹78,800-2,09,200" shall be substituted;
  - (c) in serial number (4), for the words, figures and letters "Pay Band-3 plus grade pay of Rs. 6,600", the words, figures and letters "Level 11 in Pay Matrix ₹67,700-2,08,700" shall be substituted;
  - (d) in serial number (5), for the words, figures and letters "Pay Band-3 plus grade pay of Rs. 5,400", the words, figures and letters "Level 10 in Pay Matrix ₹56,100-1,77,500" shall be substituted;
  - (e) in serial number (6), for the words, figures and letters "Pay Band-2 plus grade pay of Rs. 4600", wherever they occur, the words, figures and letters "Level 7 in Pay Matrix ₹44,900-1,42,400" shall be substituted;
  - (f) in serial number (6), for the words, figures and letters "Pay Band-2 plus grade pay of Rs. 4200", the words, figures and letters "Level 6 in Pay Matrix ₹35,400-1,12,400" shall be substituted.

[F. No. A-12011/03/2016-Ad.II]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL  
Date: 2017.05.30 22:59:02 +05'30'